



राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

फोन नं: 0141-2709114

email : cmsmsa2018@gmail.com

फैक्स: 0141-2701822

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति./जिलास्तरीय/दिशा-निर्देश/2020-21/14093 दिनांक : 24/8/2020

दिशा निर्देश

(सत्र 2020-21)

जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला

प्रस्तावना :-

राज्य के समस्त जिलों के विद्यालय प्रबंधन समितियों/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का सशक्तीकरण करने एवं समुदाय को जागरूक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी जिला स्तरीय अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों/जनप्रतिनिधियों एवं एसएमसी/एसडीएमसी के अध्यक्षों को सामुदायिक गतिशीलता के उद्देश्य, महत्व एवं चुनौतियों के बारे में अवगत कराया जाये। इसके अतिरिक्त इनमें से अनेक जिला स्तरीय अधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी/जनप्रतिनिधि एवं एसएमसी के अध्यक्ष समुदाय से घनिष्ठ सम्पर्क रखते हैं। वे उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं के बारे में काफी ज्ञान रखते हैं। ऐसे अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि कार्यशाला में समुदाय को गतिशील बनाने की विधियों को ओर अधिक परिष्कृत करने में महत्वपूर्ण सुझाव एवं विचार दे सकते हैं। विशेष केन्द्रित जिलों में स्थानीय परिस्थितियों के कारण उत्पन्न विशिष्ट चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जिला स्तरीय अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों/जनप्रतिनिधियों एवं एसएमसी के अध्यक्षों का क्षमता विकास करना इन जिलों में समुदाय की सहभागिता बढ़ाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।

समग्र शिक्षा के अन्तर्गत समुदाय की सक्रिय सहभागिता प्राप्त करने हेतु वर्ष 2020-21 में समग्र शिक्षा के मीडिया एवं सामुदायिक गतिशीलता हेतु प्रावधित बजट से जिला स्तरीय अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों/जन प्रतिनिधियों एवं एसएमसी/एसडीएमसी अध्यक्षों के साथ जिला स्तर पर एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का प्रावधान रखा गया है। जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला 100 संभागियों के लिए है। प्रति संभागी यूनिट कॉस्ट ₹ 225/- रुपये रखी गई है। अर्थात् 100 संभागियों के लिए ₹ 22,500/- रुपये तक व्यय का प्रावधान रखा गया है।

1

1

कार्यशाला में भाग लेने वाले संभागी -

- चुने हुए जन प्रतिनिधि यथा: जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, जिला परिषद के सदस्य, नगर पालिका/परिषद/निगम चैयरमेन/मेयर एवं पार्षद आदि संभागी होंगे। जिला स्तरीय अधिकारी यथा: जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं अन्य अधिकारी समसा, उप निदेशक, महिला बाल विकास विभाग, जिला श्रम अधिकारी, जिला मुख्यालय के विद्यालयों के संस्था प्रधान राजकीय उ.मा.वि., मा. वि., उ.प्रा.वि., प्रा.वि. एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष आदि।
- इसके अलावा यदि संभागियों की संख्या 100 तक पूरी नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में कुछ अन्य ऐसे जिला स्तरीय अधिकारियों को भी कार्यशाला में आमंत्रित किया जा सकता है जो कि शिक्षा में प्रत्यक्ष/परोक्ष योगदान दे सकते हैं।

जिला कार्यशाला पर होने वाले व्यय को निम्नानुसार विभाजित किया जा सकता है।

क्रसं.	विवरण	जिला स्तर पर 100 संभागियों हेतु व्यय प्रावधान
1.	भोजन 150/- प्रति संभागी की दर से	15000
2	जलपान (चाय-नाशता) 30/-रुपये प्रति व्यक्ति	3000
3.	स्टेशनरी 15 रुपये प्रति व्यक्ति	1500
4.	संदर्भ व्यक्ति मानदेय 2 संदर्भ व्यक्तियों के लिए 400/ परियोजना कार्मिक के अतिरिक्त अन्य विशेषज्ञ को आमंत्रित करने पर	800
5.	विडियोग्राफी/फोटोग्राफी/प्रतिवेदन/रिपोर्टिंग	500.00
6.	कार्यक्रम की व्यवस्था पर होने वाले अन्य विविध व्यय	1700.00
	योग	22500.00

लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :-

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों, एमएचआरडी की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

नोट:-गतिविधि संचालन के दौरान कोविड-19 के सन्दर्भ में चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देशों का पूर्णता से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।


(बाबू लाल मीणा)

IAS

राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा
एवं आयुक्त, स्कूल शिक्षा

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति./जिला स्तरीय/दिशा-निर्देश/2020-21/ 14093 दिनांक : 24/8/2020
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्त नियंत्रक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
8. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
9. रक्षित पत्रावली।


अति. राज्य परियोजना निदेशक-द्वितीय

S.N	District	Target	
		Phy.	Fin.
			(in lakhs)
1	Ajmer	1	0.225
2	Alwar	1	0.225
3	Banswara	1	0.225
4	Baran	1	0.225
5	Barmer	1	0.225
6	Bharatpur	1	0.225
7	Bhilwara	1	0.225
8	Bikaner	1	0.225
9	Bundi	1	0.225
10	Chittaurgarh	1	0.225
11	Churu	1	0.225
12	Dausa	1	0.225
13	Dhaulpur	1	0.225
14	Dungarpur	1	0.225
15	Ganganagar	1	0.225
16	Hanumangarh	1	0.225
17	Jaipur	1	0.225
18	Jaisalmer	1	0.225
19	Jalor	1	0.225
20	Jhalawar	1	0.225
21	Jhunjhunu	1	0.225
22	Jodhpur	1	0.225
23	karauli	1	0.225
24	Kota	1	0.225
25	Nagaur	1	0.225
26	Pali	1	0.225
27	Pratapgarh	1	0.225
28	Rajsamand	1	0.225
29	Sawi Madhopur	1	0.225
30	Sikar	1	0.225
31	Sirohi	1	0.225
32	Tonk	1	0.225
33	Udaipur	1	0.225
Total		33	7.425

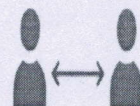
कोरोना से बचाव के उपाय अपनायें



बार बार
हाथ धोयें



मास्क पहन
कर बाहर जायें



2 गज की दूरी
बनायें रखें

5